



642/1

दरमाप— 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 5625/05/76/एक/2016-17
सेवा में,

दिनांक : 21 मार्च 2017

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-बस्ती।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी बैंक	50100188031553	IFSC Code HDFC0001888	✓ 110.358
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड संख्या-24 महरीखांवा सिविल लाइन में बलवन्त सिंह के मकान से डॉ प्रमोद गिरी के मकान होते हुये सुधा त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	8.982
2	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड संख्या-24 महरीखांवा महुली मार्ग सिविल लाइन मार्ग में मेन सड़क से महीबुल्लाह के मकान से होते हुये तारकेश्वर के मकान से पहले तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	6.802
3	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड संख्या-15 गडगोडिया शिवा कालोनी में प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव के मकान के बगल से होते हुये केंद्रीय पाष्ठेय के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	4.982
4	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड संख्या-15 गडगोडिया शिवा कालोनी बकबूल नगर में अतीकुर रहमान के मकान से मकबूल नगर मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	9.280
5	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड संख्या-15 गडगोडिया में केंद्रीय तिवारी के मकान से शुभम त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	4.938
6	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड संख्या-15 गडगोडिया में टी० आर०सी० सदन से शिवलाल के मकान होते हुये ए०आ०२० चौधरी के मकान के सामने से दिनेश्वर दूवे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	8.581
7	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड संख्या-24 महरीखांवा में परमानन्द यादव के घर से इन्द्र सिंह के घर से मनोज सिंह के घर से भिशा डेरी के मकान से होते हुये नरेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	7.505



bunr

दूरध्वाध— 2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्स्टी/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
8	वर्स्टी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 वर्स्टी	वार्ड संख्या-15 गडगोडिया में पप्पू के मकान से अजीज पेन्टर के मकान होते हुये नवल किशोर चौधरी के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	5.383
9	वर्स्टी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 वर्स्टी	वार्ड संख्या-24 महरीखांवा में ज्ञान कुजरे के मकान से होते हुये राम जग पाण्डेय, शनुधन पाण्डेय के मकान होते हुये आर0एस0 तिवारी के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	7.509
10	वर्स्टी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 वर्स्टी	वार्ड संख्या-15 गडगोडिया में इन्हियाज के मकान होते हुये मरिजद के बगल में मोनू के घर से होते हुये वजीर अहमद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	6.099
11	वर्स्टी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 वर्स्टी	वार्ड संख्या-15 गडगोडिया में मकबूल, अब्दुल हफिज के मकान से सेराज अहमद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	4.978
12	वर्स्टी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 वर्स्टी	वार्ड संख्या-15 गडगोडिया शिवा कालोनी में कोतवाली चननी मेन रोड से अब्दुल सलाम एवं इकबाल के किराना स्टोर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	5.078
13	वर्स्टी	मलिन वर्स्टी-83 बजट	न0पा0प0 वर्स्टी	वार्ड संख्या-11 रौतापार में गीता श्रीवास्तव के घर से दुर्गेश यादव के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण का कार्य।	5.761
14	वर्स्टी	मलिन वर्स्टी-83 बजट	न0पा0प0 वर्स्टी	वार्ड नं 11 मौ0 11 रौतापार में यादव के दुकान से श्री जीत नारायण के घर होते हुये कपिलदेव के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	10.027
15	वर्स्टी	मलिन वर्स्टी-83 बजट	न0पा0प0 वर्स्टी	वार्ड नं 11 मौ0 11 रौतापार में ढा0 एस0पी0 त्रिपाठी के घर से कपिलदेव गुप्ता के घर होते हुए ठाकुर प्रसाद के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	10.672
16	वर्स्टी	मलिन वर्स्टी-83 बजट	न0पा0प0 वर्स्टी	वार्ड नं 03 मौ0 पुराना डाकखाना में प्रवीन कुमार के घर से लक्ष्मी नारायण के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	3.781
	योग				110.358

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सितों तथा मलिन वर्सितों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उप्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सितों तथा मलिन वर्सितों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत डॉ०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्थीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तरपश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



602/3

दूरभाष - 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक नार्थ, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रवैकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि छूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्ता की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शेष उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा।।
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक